:: न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर ::

समक्ष
डॉ0 एम0के0अग्रवाल
सदस्य

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/अशोकनगर/भू0रा0/2017/6027–विरूद्ध आदेश दिनांक 02–11–2017 पारित द्वारा तहसीलदार नई सराय,जिला अशोकनगर–प्रकरण क्रमांक 77/बी–121/2016–17

1. बलराम पुत्र स्व0 श्री यमुनाशंकर ब्रा0।
2. ब्रजेश पुत्र स्व0 श्री यमुनाशंकर ब्रा0।
3. राजकुमार पुत्र स्व0 श्री यमुनाशंकर ब्रा0।
4. सुनीलकुमार पुत्र स्व0 श्री यमुनाशंकर ब्रा0।
5. दयाशंकर पुत्र स्व0 श्री रूपनारायन ब्रा0।
   सभी निवासीगण ग्राम महीदपुर,तहसील
   नई सराय जिला अशोकनगर, हाल निवासी
   गुना,म0प्र0। ———निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीनारायन ब्रा0।
2. जगदीश प्रसाद पुत्र श्री लक्ष्मीनारायन ब्रा0।
   सभी निवासीगण– ईसागढ
   जिला अशोकनगर,म0प्र0। —————गैरनिगरानीकर्तागण

1. श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक————————निगरानीकर्तागण के लिये।
2. श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक—————————गैरनिगरानीकर्तागण के लिये।

(आज दिनांक 18|01|18 को पारित)

यह निगरानी मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार नई सराय, जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक77/बी–121/2016–17/में पारित आदेश दिनांक 02.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम कुकरेंठा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 314 रकवा 3.063 है0 के संबंध में अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 302/2014–15/अपील में पारित आदेश आदेश दिनांक 21.12.2016 का क्रियान्वयन कराये जाने बावत गैरनिगरानीकर्तागण के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रचलित

कार्यवाही के दौरान निगरानीकर्तागण के द्वारा संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करते हुये अनुरोध किया गया कि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2016 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गयी है जो प्रकरण क्रमांक 593–दौ/2017 पर दर्ज है जिसमें मूल प्रकरण क्रमांक 90/अ–68/2012–13 एवं प्रकरण क्रमांक 403/बी–121/2012–13 चाहा गया है। उक्त दोनों प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर को भेजा जाना आवश्यक है ताकि प्रकरण में सुनवाई हो सके। आवेदन पत्र के साथ आदेश पत्रिका की प्रति संलग्न है। विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश दिनांक 02.11.2017 को निरस्त कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.11.2017 से व्यथित होकर निगररानीकर्तागण के द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गयी है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आहूत किया जाकर उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के तर्क सुने गये।

4. निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क प्रायः उन्हीं बिन्दुओं के आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका उल्लेख निगरानी मेमो में किया गया है। इसके अलावा मौखिक रूप से यह तर्क भी प्रस्तुत किये गये है कि अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2016 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की जा चुकी है,जो प्रचलित है और जिसमें मूल अभिलेख तलव किया गया है। जब तक वरिष्ठ न्यायालय में अंतिम निराकरण नही हो जाता है, तक तक प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में कोई कार्यवाही की जाना उचित नही है। निगरानीकर्तागण के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश की प्रति भी संलग्न की गयी थी, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा यह मानकर कि अपीलीय न्यायालय का समुचित आदेश नहीं है, आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के विपरीत होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किया जाकर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे।

5. गैरनिगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्को में मुख्य रूप से यह तर्क पेश किये गये कि विचारण न्यायालय द्वारा अपने मूल प्रकरण क्रमांक 90/अ–68/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2013 जिसके अनुसार प्रश्नाधीन भूमि पर खडी फसल को जप्त कर सुपुर्दगी में दिये जाने के संबंध में है। यह आदेश माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक 958/तीन/2013 में यथावत रखा जा चुका है। इसके अलावा इसी प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में निगरानीकर्तागण के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका पेश की, जो दिनांक 24.09.2013 को निरस्त हुई। एक व्यवहार वाद भी निगरानीकर्तागण के द्वारा पेश किया गया था, जो प्रकरण क्रमांक 30ए/2014 पर संस्थित होकर आदेश दिनांक 03.04.2014 से निरस्त हुआ। उक्त आदेश की अपील प्रथम अपर जिला न्यायाधीश जिला अशोकनगर में पेश की गयी जो दिनांक 16.10.2014 से

निरस्त हो चुकी है अब उक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती हैं क्यों कि माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालयों पर वंधनकारी है। अतः निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी का कोई औचित्य न रह जाने के कारण इसी स्तर पर निरस्त की जावे।

6. मैनें प्रकरण में उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट है कि कलेक्टर,जिला अशोकनगर के समक्ष गैरनिगरानीकर्तागण के द्वारा एक आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया गया था कि मंदिर श्री गणपति जी की भूमि सर्वे क्रमांक 314 रकवा 3.063 है0 पर निगरानीकर्तागण के द्वारा वलात कब्जा कर लिया गया है, उसे हटाया जाकर कब्जा वापिस दिलाया जावे। प्राप्त आवेदन पत्र को कलेक्टर,जिला अशोकनगर द्वारा कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार नई सराय को भेजा गया। तहसीलदार नई सराय द्वारा प्रकरण क्रमांक 90/2012–13/अ–68 पर पंजीवद्ध करते हुये आदेश दिनांक 28.02.2013 से माफी मंदिर की भूमि सर्वे क्रमांक 314 रकवा 3.063 है0 पर खडी फसल को जप्त कर पुजारी या ग्राम के किसी व्यक्ति को सुपुर्दगी में देकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश पटवारी मौजा को दिये गये थे। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2013 से परिवेदित होकर निगरानीकर्तागण के द्वारा एक निगरानी माननीय राजस्व मण्डल,ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण क्रमांक 958–तीन/2013 पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 01.07.2013 से निरस्त करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2013 यथावत रखा गया। अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य् भी प्रकाश में आया है कि इसी भूमि के संबंध में निगरानीकर्तागण के द्वारा एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय,खण्ड पीठ ग्वालियर में प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण क्रमांक डब्लू0पी0/5361/2013 पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 24.09.2013 को याचिका खारिज की गयी। इसके बाद निगरानीकर्तागण के द्वारा एक व्यवहार वाद माननीय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 अशोकनगर के न्यायालय में दायर किया गया जो प्रकरण क्रमांक 30ए/2014 पर दर्ज किया जाकर आदेश दिनांक 03.04.2014 से आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 जा0दी0 निरररस्त किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्तागण को किसी भी वरिष्ठ न्यायालयों से राहत प्राप्त नही हो सकी। विचारण न्यायालय के समक्ष गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2016 का क्रियान्वयन कराने बावत आवेदन पत्र पेश किया गया था, जो प्रचलनशील है। निगरानीकर्तागण जानबूझकर प्रकरण में कार्यवाही न हो, इसलिये एक नया आवेदन पत्र पेश कर विलंवित किये जाने का प्रयास कर रहा है। प्रकरण क्रमांक 90/ अ–68 / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2013 को राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2013 से यथावत रखा गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा

निगरानीकर्तागण द्वारा संहिता की धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त करने में कोई गलती नही की है।

अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य भी सामने आया है कि माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.04.2014 के विरूद्ध निगरानीकर्तागण के द्वारा प्रथम अपर जिला न्यायाधीश अशोकनगर के न्यायालय में भी अपील प्रस्तुत की गयी थी जो प्रकरण क्र0 48/2014 पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 16.10.2014 से निरस्त हो चुकी है। चूंकि शासकीय ओकाफ की भूमि सर्वे क्रमांक 314 रकवा 3.063 है0 पर निगरानीकर्तागण के द्वारा अवैध कब्जा होने के कारण तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 28.02.2013 से हटाने तथा खडी फसल को सुपुर्दगी में दिये जाने का जो निष्कर्ष निकाला गया है वह वैधानिक होकर विधिसम्मत आदेश है। किसी तरह से विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2013 का क्रियान्वयन न हो, निगरानीकर्तागण द्वारा प्रकरण को वरिष्ठ न्यायालयों में उल्झाये रखना चाहता है। अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.11.2017 जिसके द्वारा निगरानीकर्तागण द्वारा संहिता की धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किया गया है, विधिसम्मत आदेश होने से उसमे हस्तक्षेप किये जाने का कोई न्यायोचित आधार परिलक्षित नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार नई सराय, जिला अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.11.2017 विधिसम्मत होने के कारण यथावत रखा जाता है और प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस किया जावे तथा प्रकरण अंक से कम किया जाकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

(डॉ0 एम0के0अग्रवाल)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर